

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता और भारतीय संविधान

संगीता रचियता

व्याख्याता,

गृह विज्ञान विभाग,

चौ.बी.आर.जी.राज.कन्या

महाविद्यालय,

श्रीगंगानगर, राजस्थान

प्रस्तावना

मनुष्य एक चिन्तनशील, विचारशील, जिज्ञासु व सृजनात्मक बुद्धि का धनी है। ईश्वर ने उसे भाव, विचार अभिव्यक्त करने की अद्भूत शक्ति प्रदान की है। आज विश्व का जो वर्तमान स्वरूप है वह मानव की अभिव्यक्ति का ही परिणाम है। यदि उसकी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण लगा दिया जाए तो विश्व का जो सृजनात्मक रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, साहित्यिक विकास है वह अवरूद्ध हो जाएगा।

संस्कृति, साहित्य, स्थापत्य कला आदि सभी उसकी अभिव्यक्ति के ही परिणाम है। मानव पशुओं से श्रेष्ठ इसीलिए है कि उसके पास संस्कृति व सोचने, विचारने की शक्ति है। यदि व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति का कोई माध्यम न हो तो उसकी कल्पनाशीलता व वैचारिकता का कोई महत्व नहीं।

मनुष्य अनेक प्रकार के भावों का पुंज लिए होता है, जैसे – खुशी, दुःख, भय, क्रोध, साहस इत्यादि जिन्हें अभिव्यक्त करने से ही व्यक्ति का विकास सुनिश्चित होता है। विचारों को जानने के लिए व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्ति किया जाना अपेक्षित होता है।

भारत जैसे विशाल व विभिन्नताओं से परिपूर्ण देश में मानव मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय संविधान ने अनेक उपबंध किए हैं।

भारत में विभिन्न जाति धर्म वंश के लोग निवास करते हैं। जिनकी अपनी अलग-अलग मान्यताएं, विचार, धर्म व जीवन शैलियां हैं। जिनका वे अनुकरण करते हैं।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने समानता स्वतंत्रता न्याय व बंधुत्व को संविधान की प्रस्तावना में ही स्थान देकर अपने उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया।

भारतीय संविधान स्वतंत्रता के तहत धर्म, उपासना व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 में स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है जो संविधान निर्माताओं की महान सोच व लम्बे अधिकार विहिन अनुभवों को परीलक्षित करते हैं।

मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 के अनु. 35 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 19 में दी गई छः स्वतंत्रताओं में से प्रथम है वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी से इसका महत्व स्पष्ट हो जाता है।

यह व्यक्ति को स्वतन्त्र रूप से अपने विचारों को बिना किसी डर या दबाव के प्रसारित करने का अधिकार देता है।

अभिव्यक्ति के कारण ही आज मानव अपनी संस्कृति को इतना आगे बढ़ा पाया है। व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और दूसरों के विचारों को जानने का अवसर मिल अन्यथा वह कूप मण्डूक ही रह जाएगा और जैसी व्यवस्था विद्यमान है वह उसी में सीमित होकर रह जाएगा और विकास के जो महान शिखर हैं वह उनसे अछूता ही रह जाएगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि समुद्री खोजों, विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव के अभिव्यक्ति को नवीन आयाम प्रदान किए।

प्रश्न पूछना व्यक्ति की अभिव्यक्ति का ही परिचायक होता है। प्रश्न व्यक्ति की जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रतीक होते हैं। जो विभिन्न नये ज्ञान द्वारों को खोलता है।

यदि हम भारत के सन्दर्भ में बात करें तो स्थिति अत्यंत सोचनीय है। ब्रिटिश कालीन भारत में जब पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में नवीन चेतना को जागृत किया। जिसका मुख्य श्रेय राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती आदि विद्वानों को जाता है जिन्होंने जनजागृति का कार्य किया। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराईयों को शिक्षा व विज्ञान के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। जिसका रूढ़िवादी भारतीय जनता द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। किन्तु इन लोगों के प्रयासों से भारत में अंग्रेजों ने विभिन्न कानूनों व अधिनियमों के द्वारा सती प्रथा, डायन प्रथा इत्यादि अनेक सामाजिक बुराईयों पर रोक लगाई और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान के निर्माण द्वारा वैज्ञानिक खोज के अनुरूप समाज के चहुँमुखी विकास को प्राथमिकता दी गई।

किन्तु अफसोस आज 21वीं सदी में भी अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ने वाले डॉ. नरेन्द्र दाभोलकर की हत्या हो जाती है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं।

ये तो केवल एक उदाहरण है ऐसे कई उदाहरण रोज अखबारों की सुर्खियां बनते हैं। हमें आवश्यकता है इस बात को समझने की कि वास्तव में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्या मायने हैं? इस पर मायने हैं? इस पर कैसी वर्जनाएं हैं, इसके क्षेत्र में क्या-क्या समाहित हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है और हमें इसके प्रयोग में क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए।

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य

अनु. 19 सभी नागरिकों को छः स्वतंत्रताओं अधिकारों की गारन्टी देता है। जिनमें से एक है वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता – उच्चतम न्यायालय ने वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को शामिल किया है –

1. अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार
2. प्रेस की स्वतंत्रता
3. व्यावसायिक विज्ञान की स्वतंत्रता
4. फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार
5. प्रसारित करने का अधिकार अर्थात् सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है।
6. किसी राजनीतिक दल का संगठन द्वारा आयोजित बन्द के खिलाफ अधिकार।
7. सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार
8. शान्ति का अधिकार
9. चुप रहने का अधिकार
10. किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध

11. प्रदर्शन व विरोध अधिकार

राष्ट्रध्वज लहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक हैं जो अनु. 19 (1) (क) की परिधि में आता है। निर्वाचन के मामले में किसी मतदाता के वाक् या अभिव्यक्ति में मतदान करना शामिल है। अर्थात् कोई मतदाता करके बोलता है। या अभिव्यक्ति करता है। वाक् स्वतंत्रता में मौन रहने का अधिकार विवक्षित होता है। इसमें सुनने और न सुनने के लिए बाध्य न किए जाने की स्वतंत्रता विवक्षित होती है।

स्वतंत्रताओं की परिसीमाएँ

कोई भी आधुनिक राज्य व्यक्ति के अधिकारों को आत्यधिक रूप से प्रत्याभूत नहीं कर सकता। हमारे संविधान ने स्वयं ही प्रत्येक अधिकार पर कुछ परिसीमाएं अधिरापित की है।

संविधान ने राज्य को यह शक्ति दी है कि वह समुदाय के व्यापक हितों की दृष्टि से आवश्यक युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है।

जब यह कहा जाता है कि भारत का संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता व सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करता है तो उसका यही अर्थ होता है कि हमारी सांविधानिक प्रणाली का मूल उद्देश्य 'कल्याणकारी' राज्य की स्थापना करना है। अतः हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यक्ति को अनियंत्रित अधिकार प्रदान करके रूकने की बजाय यह सुनिश्चित करना चाहा कि जहां सामूहिक हितों का प्रश्न होता है वहां की स्वतंत्रता को सामान्य हित के सामने झुकना होगा।

हमारे संविधान ने यह न्यायालय पर नहीं छोड़ा कि ने यह बताएं कि राज्य किस आधार पर और किस सीमा तक व्यक्ति के अधिकारों को नियंत्रित कर सकता है। अपितु उन्होंने अनुच्छेद 19 के खण्ड (2) और खण्ड (6) में ही अनुज्ञेय परिसीमाएं विनिर्दिष्ट कर दी।

इस सन्दर्भ में राज्य के अन्तर्गत न केवल संघ और राज्यों के प्राधिकारी अपितु भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित स्थानीय या कानूनी प्राधिकारी भी हैं जैसे – नगर पालिकाएँ और स्थानीय बोर्ड आदि जो भारत सरकार के नियंत्रणधीन है। ये सभी प्राधिकारी स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगा सकते हैं। बशर्ते कि वे युक्तियुक्त हों और अनुच्छेद 19 के खण्ड (2) – (6) में विनिर्दिष्ट लोकहित के आधारों में से किसी से संबंध होने चाहिए जैसे –

1. भारत की एकता और सम्प्रभुता
2. राज्य की सुरक्षा
3. विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध
4. न्यायालय अवमानना
5. मानहानि
6. शिष्टाचार या सदाचार
7. अपराध उद्घोषण
8. लोक व्यवस्था
9. सार्वजनिक आदेश

स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान द्वारा वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल कर लिया गया। और समय-समय पर इसे पुष्ट करने हेतु न्यायालय द्वारा ठोस निर्णय भी दिए गए।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ में न्यायालय ने अभूतपूर्व निर्णय दिया, जिसमें कहा गया कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई भौतिक सीमाएं नहीं हो सकती इसी में सूचना प्राप्त करने का नागरिक का अधिकार और अपने विचारों का दूसरों के साथ आदान-प्रदान भी शामिल है।

हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति व आदान-प्रदान के लिए सदैव किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता रहती है। चाहे सरकारों को अपनी नीतियों का प्रसार करना है, राजनीतिज्ञों को अपने चुनावी वादों का प्रसार करना हो या आमजन को अपनी अभिव्यक्ति देनी हो। प्रिन्ट मिडिया ने सदैव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने जन तक अपनी पहुँच बनाई है।

आधुनिक युग में जब तकनीकी संचार माध्यमों का इतना विकास हो चुका है तब भी प्रिन्ट मीडिया का अपना ही महत्व है। यही कारण है कि आज भी सरकारें इस पर प्रतिबंध लगाने में नहीं चूकती जो जनता के वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। एक तरफ तो संविधान हमें वाक् और अभिव्यक्ति की युक्तियुक्त वर्जना के साथ प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करने की गारंटी देता है दूसरी ओर इस पर प्रतिबंध का प्रयास अजीब है।

2007 में जारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 140वां स्थान था। स्वतंत्रता की प्रथम अर्द्ध रात्रि में मिडिया राज्य द्वारा नियंत्रित थी। इंदिरा गांधी 1975 का प्रसिद्ध बयान कि रेडियों एक सरकारी हथियार हैं मिडिया पर लगाए अतिक्रमणकारी नियंत्रण का ही उदाहरण है।

1975 में तथा कथित इमरजेंसी के समय टाइम्स ऑफ इंडिया के मुंबई एडिशन में शोक संदेश कॉलम में भारतीय नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों के अतिक्रमण पर एक समाचार छपा

इण्डियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने कहा था कि लोकतांत्रिक मशीनरी में प्रेस ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखे और ऐसी किसी भी कानून और प्रशासनिक कार्याकलाप को अवैध घोषित करे जो प्रेस की स्वतंत्रता का अल्पीकरण करें। प्रेस की स्वतंत्रता में मुख्य रूप से तीन आवश्यक तत्व होते हैं –

1. सूचना प्राप्ति के सभी साधनों तक पहुँच की स्वतंत्रता
2. प्रकाशन की स्वतंत्रता
3. प्रसार की स्वतंत्रता

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

आधुनिक तकनीकी व विज्ञान ने हर क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाया है। जैसे-जैसे तकनीक का प्रसार हुआ है वैसे-वैसे सूचना व संचार में भी क्रांति आई है।

अब प्रिन्ट मीडिया के साथ ही मोबाइल, इंटरनेट, कम्प्यूटर आदि के कारण सूचनाओं व विचारों का तीव्र गति से आदान-प्रदान किया जा सकता है। लोकतंत्र में जनमत निर्माण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जनमत निर्माण में मिडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है।

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नया आयाम मिल गया है। किन्तु वर्तमान संवेदनशील युग में तकनीक के विकास ने कई समस्याओं को भी जन्म दिया है। आज सोशियल मीडिया, फ़ैसबुक इत्यादि जहाँ एक और विभिन्न जानकारियों का स्रोत है, वहीं कई बार अनावश्यक बहस का और अशांति का कारण भी बनता है।

किसी भी वस्तु के सृजनात्मक व विध्वंसात्मक दो रूप हो सकते हैं हमें सदैव उसके सृजनात्मक रूप का प्रयोग करके देश की उन्नति के प्रयास करने चाहिये।

इंटरनेट के प्रयोग द्वारा लोग अपनी बात दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं वहीं वह दूसरों की भावनाओं को भड़का भी सकती है। बेशक हमें संविधान द्वारा वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है किन्तु हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि हम ऐसी कोई बयानबाजी या भाषण बाजी न करें जो दूसरों को आहत करें।

सोशियल मिडिया ने एक ओर तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नये मंत्र दिए हैं वहीं इसने अपराधों को भी बढ़ावा दिया है एक ओर जहां वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुप्रयोग हो रहा है दूसरी ओर उसका हनन हो रहा है।

किसी प्रकार के विकास के लिए संतुलित अवस्थाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। महात्मा बुद्ध का ही एक कथन यहां उल्लेखनीय है "वीणा के तारों को न तो इतना ढीला न छोड़ें कि धुन ही न निकले और ना इतना कसों कि वे टूट जाएं।"

भारत में भी इंटरनेट के दुरुप्रयोग को रोकने व उसके क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु अनेक नियम पारित किए हैं, जिनमें IT Act 2000 (संशोधन 2008) प्रमुख है।

भारत में इंटरनेट सेंसरशिप

भारत में इंटरनेट प्रयोग को लेकर समय-समय पर बवाल होता रहता है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जब सरकार ने अपनी मनमानी करके कभी राजनैतिक, संघर्ष व सुरक्षा और कभी सामाजिक कारणों की आड़ लेकर इंटरनेट के प्रयोग को सीमित किया है। मार्च 2012 में **Reporters without Borders** ने भारत को **Countries Under Surveillance** में जोड़ा और कहा कि – 2008 में हुए बम हमलों के बाद से भारतीय प्राधिकरण ने इंटरनेट पर नियंत्रण के लिए कदम उठाया और तकनीकी सेवा प्रदाताओं पर भी दबाव डाला जबकि आम जनता के सामने सेंसरशिप के दोषारोपण को अस्वीकार कर दिया।

Freedom house की **Freedom on the net 2014 report** के अनुसार भारत को कुछ हद तक स्वतंत्रता की 42वीं रैंक (Scale from 0-100 lower is better) दी।

2003 में भारत सरकार ने इंटरनेट सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु **Indian Computer Emergency Response** का गठन किया।

भारत में सेंसरशिप के कुछ प्रमुख उदाहरण

2011 में नये IT नियम अपनाए गए जो कि IT Act 2000 के पूरक है। इस नियम के अन्तर्गत इंटरनेट कम्पनी से अपेक्षा की जाती है कि वे

1. प्राधिकरण द्वारा सूचित किए जाने के 36 घण्टों के भीतर उस सामग्री को नष्ट करेगा जो कि आपतिजनक मानी जाए और जिसकी प्रकृति निंदाकारक मानहानि कारक और घृणात्मक हो तथा जो अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक हो या कॉपीराइट का उल्लंघन करती हो।
2. साइबर केफे को यह आदेश कि वे सभी ग्राहकों के फोटोग्राफ रखें।
3. उन संकेतों का अनुपालन करे जिससे उनके ग्राहकों पर निगरानी रखी जा सके।
4. तथा सभी डाटा हर माह सरकार को भेजे।

मार्च 2011 में सरकार ने अनेक वेबसाइट्स कुछ समय के लिए बिना किसी चेतावनी के बैन किया जैसे –
Typepad, Mabangom clickatell and facebook.

21 जुलाई 2011 में सिंघव फिल्म की पाईरेसी से बचाने हेतु ISP द्वारा फाइल होस्टिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया।

24 दिसम्बर 2012 को रिलाइंस कम्यूनिकेशन द्वारा DON-2 की पाईरेसी रोकने हेतु Delhi Court के आदेश द्वारा इस फिल्म के रिलीज के बहुत पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिसे 30 दिसम्बर को वापस ले लिया गया।

दिसम्बर 2011 में गूगल, याहू, माइक्रोसोफ्ट, फेसबुक की प्री-स्क्रिनिंग से जुड़े मामले में संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हमारे लिए सांस्कृतिक सदाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इंटरनेट सर्विस प्रदाताओं व सरकार के बीच द्वंद्व चलता ही रहता है।

2011 में अनुभवी गांधीवादी अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन 'इंडिया अगेस्ट करप्शन' चलाया गया। राजनैतिक कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी इस अभियान का हिस्सा बनें और कार्टून आधारित अभियान चलाया। असीम ने एक वेबसाइट लांच की जिसका प्रयोग उन्होंने अपनी कला के माध्यम से भ्रष्ट व्यवस्था और राजनीतिज्ञों को निशाना बनाया। उनके इस प्रयास को रोकने हेतु क्राइम ब्रांच में एक शिकायत की गई और जिस डोमेन नेम का प्रयोग किया गया उस वेबसाइट ने भी इनको सेवा देना बन्द कर दिया और उन्हें कठोर कानूनी कार्यवाही की धमकी दी गई।

दिल्ली हाइकोर्ट ने एक सम्मन जारी करके कहा कि फेसबुक और गूगल इस प्रकार के आपतिजनक सामग्री के लिए स्वयं उत्तरदायी है जो कि इसमें उसका फायदा है।

इसी बीच इंटरनेट सेंसरशिप के विरोध में **Save your voice** आंदोलन चलाया गया। जिसे 2012 असीम त्रिवेदी और जर्नलिस्ट आलोक दीक्षित द्वारा चलाया गया।

अगस्त 2012 में भारत सरकार ने आसाम हिंसा से जुड़े सभ फर्जी उत्तेजक भड़काऊ सामग्री से युक्त सभी आलेख, अकाउंट गुप्स तथा विडियोज को ब्लॉक कर दिया। जबकि ये सभी भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ थे।

इसने भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। उस समय प्रवीण तोगड़िया को भी ब्लॉक कर दिया गया। 2015 में मोदी सरकार ने 857 अश्लील साइट्स पर रोक लगाने का आदेश दिया।

जम्मू कश्मीर, नागालैण्ड, मणिपुर तथा गुजरात में (हार्दिक पटेल) द्वारा चलाए जा रहे पाटीदार आंदोलन के दौरान आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन जब हिंसक हो गया तब भी मोबाइल पर उपलब्ध इंटरनेट

सेवाओं को जैसे वाट्सएप, फेसबुक को लॉ एण्ड आर्डर बहाल करने हेतु 26 अगस्त 31 अगस्त तक 6 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया गया।

की विवादास्पद धारा पिछले कुछ समय से अत्यंत कोलाहल उत्पन्न कर रही थी। इस धारा के अन्तर्गत ऐसी किसी भी सूचना के प्रवाह को रोका जा सकता है जो कम्प्यूटर या संचार उपकरणों के माध्यम से सोशल मिडिया पर पोस्ट की जाती है। जिनकी प्रकृति अत्यंत अपमान जनक व भयानक हो। इसका उपयोग विभिन्न राज्यों ने लोगों पर राजद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार करने में किया है इनमें से अधिकांशतः जो गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने विवादास्पद टिप्पणी या फोटो पोस्ट की जबकि कुछ ने शेयरिंग, विचार अभिव्यक्ति या लाइक पोस्ट किया था/जम्मू कश्मीर में तो एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने सोशल मिडिया पर एक पोस्ट को टैग किया था।

पिछले 3-4 वर्षों में धारा 66 A के अधीन गिरफ्तार हुए वे हैं –

असीम त्रिवेदी **Sep. 2012 – Free Speech** केम्पेन चलाने वाले असीम त्रिवेदी को मुंबई पुलिस ने उच्च स्थानों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाये कानूनों के मिडिया प्रचार के लिए धारा 124। (राजद्रोह) गिरफ्तार किया।

शाहीन ढांडा, रेनु श्रीनिवासन नवम्बर 2012 – इन दोनों में से एक ने फेसबुक पर एक प्रश्न डाला कि बाल ठाकरे की अंत्येष्टि में शहर को बंद क्यों रखा गया और दूसरी ने उसे लाइक किया और लिखा कि ये सम्मान के कारण बंद नहीं है, डर के कारण है।

उन्हें धारा 295 (A) के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और IT Act की धारा 66 A के तहत गिरफ्तार किया गया। बाद में कोर्ट द्वारा मामला खत्म कर दिया गया।

अम्बिकेश महापात्र व सुब्रत सैन गुप्ता, जादवपुर एयर इण्डिया कर्मचारी मुंबई, किशतवाड के युवा जम्मू-कश्मीर, रवि श्रीनिवासन, कंवल भारती उत्तरप्रदेश, राजेश कुमार केरल, इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान के विरुद्ध विवादास्पद कमेंट करने के कारण गिरफ्तार हुए 11वीं के छात्र IT Act पर एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया।

धारा 66 (A) के विरोध में कई प्रयास किए गए जिनमें श्रेया सिंहल का प्रयास सराहनीय कहा जा सकता है जिन्होंने इसके खिलाफयाचिका दायर की और श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में इस धारा को रद्द कर दिया गया है।

कुछ अन्य विवादास्पद मुद्दे

विश्वरूपम

2013 में यह भारतीय फिल्म विवादों को लेकर सुर्खियों में रही। सबसे महत्वपूर्ण एक मुस्लिम समुदाय द्वारा इस फिल्म पर यह आरोप लगाना कि फिल्म में मुस्लिम भावनाओं को आहत किया है। बाद में कई दिनों के बैन व समझौते के बाद फिल्म को प्रसारित किया गया।

फिल्म अभिव्यक्ति का माध्यम होती है और जब सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए पाबंदिया लगाई जाती है न कि सामाजिक सरोकार से तो यह भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का उपहास उड़ता नजर आता है।

पीपली लाइव

हिन्दी फिल्म पीपली लाइव विवाद का विषय बन गई जब नागपुर की विदर्भ जन आंदोलन समिति ने कहा कि इस फिल्म और एक धारावाहिक में उन किसानों का मजाक बनाया गया है जो वैश्वीकरण और सरकारी नीतियों का शिकार होकर आत्महत्या को मजबूर हुए हैं। इसी तरह इसके एक गीत "महंगाई डायन खाए जात है" पर भी कांग्रेस पार्टी द्वारा कोर्ट में चुनौती दी गई कि इसमें सोनियां गांधी को महंगाई का जिम्मेदार ठहराया गया है किन्तु सभी तर्क निराधार निकले और केस खारिज कर दिया गया।

निष्कर्ष

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय बहुत ही व्यापक व पेचीदा है। क्योंकि एक तरफ तो भारतीय संविधान वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है किन्तु वास्तविकता के धरातल पर तो सदैव पाबंदिया ही लगाई हैं कभी प्रेस पर तो कभी इंटरनेट सेंसरशिप द्वारा कभी-कभी तो इसे राजद्रोह की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है।

हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बात हमारे लिए सही है वह किसी दूसरे के लिए गलत हो सकती है और कभी जब हम किसी बात का विरोध करते हैं तो वही दूसरा उसका समर्थन करता है ऐसी स्थिति धर्म मान्यता, संस्कृति, विचार, समाज सभी क्षेत्रों में देखी जाती है। अतः प्रत्यक्ष विरोध करना कतई हितकर नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे तो संघर्ष ही बढ़ेगा। किन्तु कई बार कुछ बुराईयां ऐसी होती हैं जो समाज के विकास को अवरुद्ध करती हैं तब चुप रहना मुश्किल हो जाता है और प्रतिरोध आवश्यक हो जाता है। तब समाज के बुद्धिजीवियों से अपेक्षा की जाती है कि वे लोगों को साथ लेकर, तार्किक ढंग से उनका समर्थन प्राप्त करके उन्हें बुराईयों से अवगत कराएं और विवके सम्मत तरीकों से व्यक्ति की स्वयं की स्वीकृति द्वारा समाज परिवर्तन की और बढ़ें।

भारत में गांधी, दयानन्द सरस्वती, राजा राममोहन राय आदि अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने आम जन में विश्वास कायम कर उन्हें तार्किकता के धरातल पर खड़ा किया और वास्तविकता से अवगत कराया उसी से समाज सुधार संभव हो पाया है।

आज भी बुद्धिजीवियों से यही अपेक्षा की जाती है कि अपनी और दूसरों की स्वतंत्रता को साथ लेकर उन्नत राष्ट्र निर्माण को सफल बनाएं।

हालांकि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक व्यापक शोध व अनुसंधान का मुद्दा है।

समय के साथ ही इसकी परिभाषा व दायरे का निर्धारण होता रहेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में सोच का उच्च स्तर प्राप्त करना अभी शेष है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. फ्री स्पीच: ए वेरी शोर्ट इन्ट्रोडक्शन: वारबर्टन नाइगेल।
2. असीम त्रिवेदी को जेल आलेख, द गार्जियन 10 सितम्बर 2010
3. सूचना तकनीकी अधिनियम (2000) संशोधन 2008 डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड सूचना तकनीकी 3 मई 2015
4. पाण्डे जे.एन. कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ ऑफ इण्डिया 42वां संस्करण 2005 केन्द्रीय विधि अभिकरण इलाहाबाद।
5. सिंह एम.पी. भारत का संविधान, 10वां संस्करण 2001, ईस्टर्न बुक कम्पनी।
6. मुंबई शटस डाउन ड्यू टू फियर, नॉट रेस्पेक्ट: द हिन्दू, 19 नवम्बर 2012, आलेख।

7. बी.बी.सी. न्यूज 24 मार्च 2015 श्रेया सिंघल आलेख।
8. धारा 66 ए: आलेख, इण्डियन एक्सप्रेस, 24 मार्च, 2015